

## आदेश और अधिसूचनाएं

1.3 इस संबंध में अनुपूरक दिशानिर्देश 26.10.20014 को अधिसूचित किए गए थे।

भारत सरकार  
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2004

पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनें बिछाने के लिए अनुपूरक दिशा-निर्देश

एफ.सं.पी- 20012/5/99-पीपी/ओआर-II - पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनें बिछाने के दिशा-निर्देशों के संबंध में भारत के असाधारण राजपत्र, भाग I - खण्ड I में प्रकाशित भारत सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की दिनांक 20.11.2002 की अधिसूचना फा.सं.पी-20012/5-99-पीपी के क्रम में भारत सरकार 20.11.2002 के उपर्युक्त दिशा-निर्देशों की श्रेणी-1(iii) के अंतर्गत आने वाली पाइपलाइनों के लिए निम्नलिखित अनुपूरक दिशा-निर्देश जनहित में जारी करती है।

**सामान्य वाहन क्षमता**

1. पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनें बिछाने की दिनांक 20.11.2002 की अधिसूचना फा.सं.पी-20012/5/99-पीपी के दिशा-निर्देशों के पैरा 3.4 के अंतर्गत निर्मित की जाने वाली "सामान्य वाहक" क्षमता में पाइपलाइन की पूरी जीवन अवधि में मालिक/प्रस्तावकर्ता के अलावा अन्य किसी पक्षकार को प्रथम प्रयोग का अधिकार प्रदान करता है।
2. यदि सामान्य वाहक क्षमता में से अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध हो तो मालिक/प्रस्तावकर्ता इसका इस शर्त के साथ उपयोग कर सकता है कि यदि अन्य कोई पक्षकार सामान्य वाहक क्षमता के जरिए परिवहन करना चाहता है, तो मालिक/प्रस्तावकर्ता तत्काल विनिर्दिष्ट स्तर तक सामान्य वाहक क्षमता को खाली करेगा और उपलब्ध कराएगा।

**पाइपलाइन बिछाने का कार्य पूरा करने की समय-सीमा**

3. पाइपलाइन परियोजना को निर्धारित समयावधि में स्थापित करना होगा, जिसकी बाहरी सीमा स्वीकृति/अनुमोदन की तारीख से 36 महीने होगी।

**बैंक गारंटी**

4. मालिक/प्रस्तावकर्ता को अनुमोदित समय अनुसूची के अनुसार पाइपलाइन परियोजना को चालू करने के लिए एक गारंटी के रूप में परियोजना परिव्यय के 2% के बराबर या प्रस्तावित

पाइपलाइन के 2 लाख रुपए प्रति किलोमीटर, जो भी अधिक हो, की अचल बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी। अचल बैंक गारंटी को स्वीकृति/अनुमोदन की तारीख से 36 माह के बाद किसी भी समय चुकाया जा सकेगा और इसे केवल सरकार की सलाह पर ही चुकाया जाएगा। यदि परियोजना को पूरा करने में परियोजना की स्वीकृति/अनुमोदन की तारीख से 36 महीने से अधिक का विलंब होता है, तो बैंक गारंटी ले ली जाएगी।

5. बैंक गारंटी के निष्पादन और उसे सरकार के पास जमा कराने के बाद आरओयू अर्जन शुरू किया जाएगा।
6. बैंक गारंटी स्वीकृत-पत्र के जारी होने के 30 दिनों के अंदर जमा कराई जाएगी अन्यथा स्वीकृत-पत्र वापस ले लिया जाएगा।
7. बैंक गारंटी विनिर्दिष्ट समयावधि के अंदर पाइपलाइन को चालू करने और स्वीकृति/अनुमोदन पत्र द्वारा लगाई गई शर्तों का सफलतापूर्वक अनुपालन करने पर अदा कर दी जाएगी।

#### **आरओयू के अर्जन के लिए सक्षम प्राधिकारी**

8. पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए केवल सेवारत सरकारी अधिकारियों पर ही विचार किया जाएगा।

#### **मालिकाना अधिकार का अंतरण**

9. जहां पाइपलाइन कार्यान्वयन कंपनी एक सहायक कंपनी हो और उसे अपनी धारित/मूल कंपनी के तुलन-पत्र के आधार पर स्वीकृति/अनुमोदन प्रदान किया गया हो, वहां ऐसी पाइपलाइन कार्यान्वयन सहायक कंपनी में किसी परिवर्तन से पूर्व पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुमति लेनी होगी।

#### **पाइपलाइन परियोजना में क्षमता प्राप्त करने वाली कंपनियों की पात्रता**

10. कोई पक्षकार पाइपलाइन परियोजना में क्षमता प्राप्त करने के लिए प्रस्तावकर्ता से संपर्क कर सकता है जिसके लिए पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन बिछाने की दिनांक 20.11.2002 की अधिसूचना एफ. सं.पी-20012/5/99-पीपी के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत आशय-पत्र (ईओआई) जारी किया गया था। क्षमता प्राप्त करने की पक्षकारों की पात्रता इस आधार पर सीमित नहीं होगी कि क्षमता प्राप्त करने वाला पक्षकार न तो रिफाइनरी होगा और न ही उसके पास कोई विपणन अधिकार हो।

## विविध

11. इन अनुपूरक दिशा-निर्देशों को दिनांक 20.11.2002 के पूर्व-दिशानिर्देशों के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को दिशानिर्देशों/अनुपूरक दिशानिर्देशों के सुचारु कार्यान्वयन के लिए स्पष्टीकरण या निर्देश जारी करने का अधिकार होगा।

प्रभ दास, संयुक्त सचिव